

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश
शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक-

संचिका संख्या-17/विविध 1-96/2016...../ स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या-708(17) दिनांक-03.10.2016 के क्रमांक-7 पर अंकित डा0 प्रशांत कुमार सिन्हा, प्राध्यापक, सर्जरी, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के स्थान पर "डा0 प्रशांत शंकर सिन्हा" प्राध्यापक, सर्जरी, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना का शेष भाग यथावत रहेगा।



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध 1 - 96/2016 - 726/17/स्वा0, पटना, दिनांक- 5/10 /2016

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-जिला कोषागार पदाधिकारी पटना/दरभंगा/मुजफ्फरपुर/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रतिलिपि :-प्राचार्य, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संविदारत चिकित्सक शिक्षकों की पदस्थापन अवधि की गणना उनके मूल संविदा नियुक्ति से करते हुए शेष अवधि के लिए की गई है।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी-01 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पाकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका फेज-1, नई दिल्ली-110077 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।